

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 61 /2020

दिनांक : 04.03.2020

श्रीमती इन्दु फिडौदा (RJ0916), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली को दिनांक 17.03.2020 से 04.04.2020 तक 19 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 14.03.2020 से 15.03.2020 एवं 05.04.2020 से 06.04.2020 के राजपत्रित अवकाशों एवं 16.03.2020 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री वैभव सोनी (RJ1144), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, पाली को श्रीमती इन्दु फिडौदा के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री वैभव सोनी (RJ1144), जिन्को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से  
04.3.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/87/2015/ 1594

दिनांक 04.03.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को उनके पत्रांक 526 दिनांक 25.02.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती इन्दु फिडौदा (RJ0916), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली।
5. श्री वैभव सोनी (RJ1144), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, पाली।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, पाली।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

04/3/20  
सहायक रजिस्ट्रार